न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

.स्व वाद संख्या :– 80 / 2022

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

मोटाराम पुत्र श्री हेमाराम कौम मेघवाल साकिन टुकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. मनजीराम पुत्र श्री हेमा कौम मेघवाल साकिन टुकिया तहसील सिणधरी 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1 श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादी सं. 1 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार उप.।.

प्राथमिक निर्णय

दिनांक– 12.06.2024

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम टुकिया के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.2585 हैक्टेयर व खसरा संख्या 21 रकबा 5.0239 हैक्टेयर व ग्राम सरवणों की ढाणी खसरा संख्या 41 रकबा 2.4270 हैक्टेयर का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है तथा इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिव[illegible] के मध्य [illegible] दर्ज एवं इसी हिस्सों के माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि पर काबि[illegible] तथा [illegible] के पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से वादी एवं प्रति[illegible] के मध्य भूमि [illegible] को लेकर झगडा रहता है। भूमि सामलाती होने से वादी को कई परेशानियां एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहती है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम टुकिया के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.2585 हैक्टेयर व खसरा संख्या 21 रकबा 5.0239 हैक्टेयर व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

ो ढाणी खसरा संख्या 41 रकबा 2.4270 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा को बाई मीटस एण्ड बाउण्ड शेष प्रतिवादी से बंटवाडा कर राजस्व रिकार्ड में अलग से के नाम इन्द्राज की जावें।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 मोटाराम के बयानात करवायें गयें। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रति पेश की गई।

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम टुकिया के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.2585 हैक्टेयर व खसरा संख्या 21 रकबा 5.0239 हैक्टेयर व ग्राम सरवणों की ढाणी खसरा संख्या 41 रकबा 2.4270 हैक्टेयर का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है तथा इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य खुल्ली हुई एवं इसी हिस्सों के माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमांबदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादी अपने 1/2 हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवानें का हकदार है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 01 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने की प्रतिवादी की ओर से मौन स्वीकृति है,यदि उक्त प्रतिवादी को वादी के वाद के संबंध ... एतराज होता तो,न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन प्रतिवादी ... से ऐसा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

6.लिहाजा वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्उल गोलिया जीवराज के ग्राम टुकिया के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.2585 हैक्टेयर व खसरा संख्या 21 रकबा 5.0239 हैक्टेयर व ग्राम सरवणों की ढाणी खसरा संख्या 41 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

ts and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार भिवाड़ी को [illegible] शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है कमीशनर शुल्क [illegible] पर [illegible] होगा। खातेदारान का हिस्सा बदस्तूर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव [illegible] नोटिस से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व न्यायालय नियम 18 से 21) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पारित जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर भिवाड़ी

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर भिवाड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:08 IST
Reason: SelfAttested